

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 8 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री चन्द्र शेखर | लैब टैक्नीशियन | उप जिला चिकि0 एल0डी0भट्ट काशीपुर | जिला मलेरिया अधिकारी, नैनीताल | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 एल0डी0भट्ट काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

—:आदेश:—

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्रीमती ललिता बिष्ट | लैब टैक्नीशियन | उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली | प्रा0स्वा0के0 सेलाकुई, देहरादून | निजी अनुरोध |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16368

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री जोगा सिंह | लैब टैक्नीशियन | उप जिला चिकि0 एल0डी0भट्ट काशीपुर | बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 एल0डी0भट्ट काशीपुर/बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्रीमती शारिका कोठियाल | लैब टैक्नीशियन | जिला महिला चिकि0 हरिद्वार | जिला चिकि0 उत्तरकाशी | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16394

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, महिला चिकि0 हरिद्वार/जिला चिकि0 उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

—:आदेश:—

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री उपेन्द्र सिंह | लैब टैक्नीशियन | सामु0स्वा0के0 नारसन, हरिद्वार | सामु0स्वा0के0 खिर्सू, पौड़ी | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16392

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

:-आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री पंकज वर्मा | लैब टैक्नीशियन | सामु0स्वा0के0 ज्वालापुर, हरिद्वार | जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

:-आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री सुभाष चन्द्र | लैब टैक्नीशियन | दून चिकि0 देहरादून | सामु0स्वा0के0 दुगड्डा, पौड़ी | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16388

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 3- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/ देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

—:आदेश:—

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री जयवर्धन नेगी | लैब टैक्नीशियन | प्रा0स्वा0के0 रिखणीखाल, पौड़ी | सामु0स्वा0के0 नैनीडांडा, पौड़ी | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

16386

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री अरविन्द चमोला | लैब टैक्नीशियन | सामु0स्वा0के0 थैलीसैण, पौड़ी | सामु0स्वा0के0 थत्यूड, टिहरी, गढ़वाल | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16384

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/टिहरी, गढ़वाल।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/टिहरी, गढ़वाल।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री प्रदीप सिंह रावत | लैब टैक्नीशियन | प्रा0स्वा0के0 डाडामण्डी पौड़ी | उप जिला चिकि0 कोटद्वार, पौड़ी। | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16382

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री प्रमोद चन्द्र रमोला | लैब टैक्नीशियन | सामु0स्वा0के0 चिन्त्यासौड़, उत्तरकाशी | जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16380

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री विरेन्द्र सिंह नेगी | लैब टैक्नीशियन | सामु0स्वा0के0 खिर्सू पौड़ी | वरिष्ठ जिला क्षयरोग अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी, गढ़वाल | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

16378

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/टिहरी, गढ़वाल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी, गढ़वाल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/टिहरी, गढ़वाल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | श्री शिवदयाल सिंह भण्डारी | लैब टैक्नीशियन | उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी | सामु0स्वा0के0 ज्वालापुर, हरिद्वार | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/ हरिद्वार
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, श्रीनगर, पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक-08 जुलाई, 2022

—:आदेश:—

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री वीजेन्द्र प्रताप राय | लैब टैक्नीशियन | जिला चिकि0 उत्तरकाशी | उप जिला चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून | जनहित |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/प्रेमनगर, देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

देहरादून दिनांक- 08 जुलाई, 2022

-:आदेश:-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक-06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती का स्थान | नई तैनाती का स्थान | अभ्युक्ति |
|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री प्रशान्त कनवासी | लैब टैक्नीशियन | जिला चिकि0 रूद्रप्रयाग | सामु0स्वा0के0 सहसपुर, देहरादून | निजी अनुरोध |

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्त के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/एल0टी0/11/2022/

तददिनांक।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(एस0के0झा)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)